राज्यों के शासकीय राजपत्र में शीघ्र प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख : 15 मार्च, 2016

निदेश

सं. 576/3/ईवीएम/2016/एसडीआर.खंड। - यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में उपबंध किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मत देने एवं दर्ज करने को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों, जो भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें, में अंगीकार किया जा सकता है; तथा

2. यत: आयोग ने असम के सभी 126 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, केरल के 140 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, तमिलनाडु के 234 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों,पश्चिम बंगाल के 294 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और पुडुचेरी के 30 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिस्थितियों पर विचार किया है और इस बात से संतुष्ट हैं कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान आयोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिकों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के दक्ष संचालन में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं और निर्वाचक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रचालन से पूरी तरह परिचित हैं।

3. यत: अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा असम के 126 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, केरल के 140 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, तमिलनाडु के 234 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के 294 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और पुडुचेरी के 30 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिनमें तारीख 11.03.2016 एवं 15.03.2016 को असम में, तारीख 11.03.2016, 14.03.2016, 22.03.2016,28.03.2016, 01.04.2016, 04.04.2016 एवं 11.04.2016 को पश्चिम बंगाल में तारीख 22.04.2016 को केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में अधिसूचित/अधिसूचित किए जाने वाले उक्त राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचन में मत, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 तथा निर्वाचन आयोग द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी पूरक अनुदेशों के अधीन विहित रीति में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा दिए जाएंगे एवं रिकॉर्ड किए जाएंगे।

आदेश द्वारा,

(अनुज जयपूरियार)
सचिव